

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- भ0स053(1)/नौ-5-19-157बजट/2015-टी0सी0
लखनऊ:: दिनांक ०४ मार्च, 2019

शुद्धि-पत्र

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों हेतु केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 12,72,40,000.00 एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 77,03,97,600.00 अर्थात् कुल अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 89,76,37,600.00 की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-56/2019/भ0स053/नौ-5-2019-157बजट/2015 दिनांक 05.03.2019 में त्रुटिवश "सार्वजनिक शौचालयों" के स्थान पर "सामुदायिक शौचालयों" अंकित हो गया है। अतः "सामुदायिक शौचालयों" के स्थान पर "सार्वजनिक शौचालयों" समझा एवं पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 05.03.2019 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।



(राधे कृष्ण)

संयुक्त सचिव।

संख्या-भ0स053(2)/नौ-5-2019-157बजट/2015-टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
- 3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक(एस0बी0एम0), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 5- मिशन निदेशक (एस0बी0एम0)/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपर्युक्त धनराशि कोषागार से आहरित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- सहायक निदेशक(लेखा) स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 9- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
- 13- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,



(राधे कृष्ण)

संयुक्त सचिव।